अपील सूचना अधिकार संख्या 170/2016 अनवानी श्री दिलावर सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एल.एल.पी. पोस्ट आंफिस रामसरा जाखडान तहसील सूरतगढ़ बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

27–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दिलावर सिंह के अभिभाषक श्री रामकरण उपस्थित है। उनके द्वारा फहरिस्त सूचि में अंकित दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से चाही गई सूचनाओ के संबंध में उनके द्वारा अपने पत्र सं0 2821 दिनांक 07.201.2016 से सूचनाएं उपलब्ध न करवाकर अपीलार्थी का प्रा0 पत्र निरस्त कर दिया है जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार रिकार्ड उनके कार्यालय में ही उपलब्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं 250/–रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाकर अधिनियम के प्रावधानानुसार दण्डित किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दिलावर सिंह ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

> मु0न0 42/322 के किला न0 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहरी 1.897 हेक्टर जमीन चक 17 एस.टी.बी.(ए) में सेना के वाटर रिजर्वेयर निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा देने बाबत रिफेन्स की पूर्ण सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावे

अपीलार्थी के अपील पत्र पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने पत्र सं0 2938 दिनांक 25.11.2016 से जबाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः–

> उपरोक्त विषयक अपील का बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार से प्रेषित हैः–
> 1. अपील की मद संख्या 1 आंशिक स्वीकार है। अपील में वर्णित भूमि वर्ष 2007 में आवाप्त हुई थी जिसके नोटिस भी दिये गये थे। अपीलांट ने केवल रेफरेन्स संबंधी सूचना मांगी थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2016 की छाया प्रति सलंग्न है।
> 2. अपील की मद संख्या 2 स्वीकार है। अपीलांट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उक्त आवाप्त भूमि का मुआवजा देने बाबत रिफेन्सर की पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाये। इस
> 3. यह कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 2821 दिनांक 08.10.2016 द्वारा उसे उसके प्रार्थना पत्र में मांगी गई सही सूचना दी गई थी। कोई अस्पष्ट अथवा गैर जिम्मेदाराना तरीके से जबाब नही भेजा गया था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
170/16
A3/2

4. भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत रेफरेन्स हितबद्ध व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जिसे भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा 19 की रिपोर्ट के पश्चात सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतू भिजवा दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई रेफरेन्स इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया था। इसलिए उसे लिखा गया था कि रेफरेन्स हितबद्ध व्यक्ति स्वयं अपने अधिवक्ता के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करता है यदि आपने ऐसा कोई रेफरेन्स किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस कार्यालय में ऐसी कोई जानकारी नही है। इसलिए उपलब्ध कराना संभव नही था। यही जानकारी प्रार्थी को दी गई थी
5. वर्ष 2007 दमें उक्त प्रकरण में जो भूमि अवाप्त की गई थी सभी हितबद्ध व्यक्तियों ने आवार्ड के अनुसार भूमि का मुआवजा प्राप्त नही किया था। अतः भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आवार्ड राशि सक्षम न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीगंगानगर के न्यायालय में जमा करवा दी गई थी।
6. इस कार्यालय उमें प्रार्थी ने कोई भी रेफरेन्स प्रस्तुत नही किया है ना ही प्रार्थी का कोई रेफरेन्स कोर्ट में भिजवाया गया है।
7. इस कार्यालय से संबंधित नही है यह कानूनी बिन्दू है।

अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी ने जो सूचना मांगी थी वह बिल्कुल स्पष्ट दी गई थी। अतः प्रार्थी की यह अपील खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरतगढ के पत्र सं0 1236 दिनांक 28.07.2010 एवं प्र0 अ0 (लेखा शाखा) जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर का पत्र सं0 440 दिनांक 22.11.2010 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सेना के लिए वाटर रिजर्वेयर बनाने हेतु तहसील सूरतगढ की 20.040 हे0 भूमि अवाप्त की गयी थी और प्रस्तुत सैशन न्यायाधीश महोदय के उक्त पत्र से प्रतीत होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी सूरतगढ व जिला सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर में पत्राचार हुआ है और पत्र दिनांक 28.07.2010 के साथ जो दस्तावेज भेजे गये है उनके सलंग्न अभिलेखो की सूचि में अंकित दस्तावेज विवरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में सही स्थिति ज्ञात हो सकती है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर 07.10.16 उचित प्रतीत नही होता है। यह सही है कि सूचना ढूढकर उपलब्ध करवाने का कार्य लोक सूचना अधिकारी का नही है **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है** कि अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये उक्त पत्रो को ध्यान में रखकर, इस हेतू आपके कार्यालय में भूमि अवाप्ति मुआवजा से संबंधित रेफरेन्स हेतु रखे गये रजिस्टर व अन्य संबंधित रिकार्ड का अपीलार्थी को अवलोकन करवाकर उपलब्ध रिकार्ड मे से अपीलार्थी जो सूचना लेना चाहे वह उसे रेफरेन्स सहित, आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करवाया जावे।

अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)